संख्या–2137/XVIII-(2)/17-4(14)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 03 नवम्बर, 2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में एस.पी.ए. (आर) के अंतर्गत गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी के अंतर्गत भग्यानी से धौला मुसईपानी वन जीप मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वन एवं पर्यावरण विभाग की पत्रावली संख्या–12(87)/2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं बादल फटने आदि के कारण क्षतिग्रस्त गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी के अंतर्गत भग्यानी से धौला मुसईपानी वन जीप मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये कुल धनराशि ₹ 145.86 लाख पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 143.00 लाख (₹ एक करोड़ तैतालीस लाख मात्र) की धनराशि आहरित करने एवं आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में संबंधित जिलाधिकारी/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

10– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

11– आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

12– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड/सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

14– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15– यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

16– यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

2– यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–२१३७(1)/XVIII-(2)/17-4(14)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
7– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव